

11

**मूल वाद में डिक्री**  
(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)  
न्यायालय उपखंड अधिकारी, झुंझुनू  
पीठासीन अधिकारी:- शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)


मुकदमा नम्बर:- 23/2019

उनवान  
याकूब खां वगै० बनाम तुलसीदास वगै०

दावा बाबत:- घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरुस्ती

दिनांक:- 10.03.2022

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री तैयब हुसैन खान एवं राज्य सरकार की ओर से श्री श्रवण कुमार सैनी उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 10.03.2022 को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम अजीतगढ तहत तहसील मंडावा स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 215 के वर्तमान खसरा नम्बर 325 रकबा 2.25 है। में गोपीराम पुत्र रामेश्वर, तुलसीदास पुत्र महादेव, द्वारका प्रसाद पुत्र रामेश्वर, मथराप्रसाद पुत्र बजरंगलाल, राधाकिशन पुत्र बजरंगलाल, रामबल्लभ पुत्र भगवानदास का नाम हजफ किया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 12.05.1986 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मंडावा को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

  
(शैलेश खैरवा)  
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	00
स्टाम्प वकालतनामा	46	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुकमनाम	
बाबत इजराय हुकमनाम		मुतफरिक	
याग	50		00

  
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू